संख्या-10/2015/15/8/2014-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्कि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2015

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-22/01/बजट/2015-16, दिनांक 30.7.2015 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 7.4.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अनुपूरक अनुदान की मांगों के माध्यम से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपये-10,00,00,000.00 (रूपये-दस करोड़ मात्र) को निम्नांकित विवरणानुसार अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय, इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में अंकित प्रयोजनों के लिए नियमानुसार किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा नहीं किया जायेगा।

2. अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का शीर्षक/मदवार विवरण निम्नवत् हैः-

शीर्षक/मद	धनराशि (हजार रूपयों में)
राजस्व लेखा-	
2051-लोक सेवा आयोग-	
102-राज्य लोक सेवा आयोग-	
03-राज्य लोक सेवा आयोग-	
04-यात्रा व्यय	1000
07-मानदेय	6000
08-कार्यालय व्यय	60000
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1500
13-टेलीफोन पर व्यय	600
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	600
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10000

http://shasanadesh.up.nic.in

23-गुप्त सेवा व्यय	20000
29-अनुरक्षण	300
योग-	100000
	(रूपये-दस करोड़ मात्र)

3. उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-20 में लेखा शीर्षक, '2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित)' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-15/8/2014(1)-का-4-2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. कार्मिक अनुभाग-3

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in